न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 91/2018

1 सरोज पुत्री रामस्वरूप पत्नी योगेश जाति यादव निवासी दयाल का नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ढ़ाणी बलारा तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र पालाराम जाति यादव निवासी दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप पंजीयक अधिकारी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 09.08.2018
मुकदमा नम्बर 34/18 उनवानी सरोज बनाम
रामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
एक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक
नीमकाथाना जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 29.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2018 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा ग्राम दयाल की नांगल की भूमि खसरा नम्बर 474 से 477, 480,482 से 484,511,1099,276,1123 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2019 में उक्त खसरा नम्बरों बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 09.09.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से इस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संशोधित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचाराधीन आदेश से अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में विवादित भूमि में स्वंय का 1/6 हिस्सा होने एवं उसके सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से प्रार्थी अपीलांट के हिस्से तक स्थगन जारी रखा गया है। विचारण न्यायालय के आदेश मे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में विवादित भूमि में स्वंय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का 1/6 हिस्सा होने का कथन कर उसके सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से प्रार्थी अपीलांट के हिस्से तक स्थगन जारी रखा गया है। विचारण न्यायालय के आदेश मे कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर